DISCOVERY
(International Multidisciplinary Refereed Research Journal)
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
ISSN: DOI: IMPACT FACTOR:

युवाओं में सी.ए .ए . के प्रति जागरूकता- एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. कवलजीत कौर

समाजशास्त्र विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (चम्पावत) उत्तराखण्ड

DOI No: **DOI Link:**

<u>सारांश-</u>

अभी हाल ही में केन्द्र की मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आये सभी अल्पसंख्यकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार हेतु नागरिकता देने के वैधानिक प्रावधान करने के लिए संसद से नागरिकता संशोधन कानून (C.A.A.) 2019 पास कराया जिस पर राष्ट्रपति महोदय ने 12 दिसम्बर 2019 को हस्ताक्षर कर दिया। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में सी.ए .ए . के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से 60 छात्र-छात्राओं का चयन उद्देश्यपूर्वक प्रतिदर्श द्वारा किया गया। चयनित प्रतिदर्श में 20 लड़कियां तथा 40 लड़के सम्मिलित है, जोकि हिन्दू धर्म से सम्बन्धित है तथा उनकी आयु 18 से 21 वर्ष के मध्य है। प्रस्तुत अध्ययन द्वारा स्पष्ट होता है कि चम्पावत महाविद्यालय के अधिकांश छात्र सी.ए .ए . से परिचित है तथा साथ ही वे इसे आवश्यक मानते है। उनका मानना हैं कि सी.ए .ए . अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं अवैध

घुसपैठ को रोकने हेतु आवश्यक है। उनका मानना है कि सी.ए .ए . किसी धर्म के विरूद्ध नहीं है। यह केवल पीड़ित अल्पसंख्यकों को संरक्षण देगा, ताकि वे सब अप ना जीवन सुरक्षा के साथ यापन कर सके। कुछ छात्रों का मानना है कि सी.ए .ए . के द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के कारण देश में गरीबी, बेरोजगार जैसी समस्याऐं बढ़ेगी।

कुंजी शब्द-

सी.ए .ए ., सी.ए .ए . की ऐतिहासिक पृश्ठभूमि, संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान, सी.ए .ए . 2019 की मुख्य बातें

प्रस्तावना-

नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण व उत्तरदायी सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। आज के युग में नागरिकता की पहचान अधिकारों से की जाती है और व्यक्ति के कर्तव्य वही तक स्वीकार किये जाते है जहां तक वे इन अधिकारों को कायम रखने के लिए जरूरी हों। अभी हाल ही में केन्द्र की मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आये सभी अल्पसंख्यकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार हेतु नागरिकता देने के वैधानिक प्रावधान करने के लिए संसद से नागरिकता संशोधन कानून (C.A.A.) 2019 पास कराया जिस पर राष्ट्रपति महोदय ने 12 दिसम्बर 2019 को हस्ताक्षर कर दिया। इस संशोधन विधेयक द्वारा नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किये गये है जो इस प्रकार है- नागरिकता कानून 1955 के खण्ड 2 के उपख ण्ड 1, खण्ड 6A, 6B, 7A व 18 के उपखण्ड 2 के साथ इसकी तीसरी अनुसूची में भी बदलाव किया गया, साथ ही में भारत में निवास करने हेतु न्यूनतम सीमा 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गयी है। इसके द्वारा 31,313 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जायेगी जो लोग लम्बी अवधि के वीजा पर (धार्मिक आधार पर उत्पीड़न से बचाव हेतु) भारत में रह रहे है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-

भारत के स्वतंत्रता संघर्ष (1857) को कुचलने के साथ ही ब्रिटिश शासकों ने भारतीय समाज में अपनी नीतियों से ऐसी व्यवस्था की कि हिन्दू व मुसलमान फिर से एक साथ संगठित होकर न रह सकें। इन्ही नीतियों का नतीजा था कि सर्वप्रथम अलग पाकिस्तान की मांग ऊर्दू कवि इकबाल ने लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखी। इस्लाम व मुस्लिमों की मानसिकता के बारे में वर्ष 1920 में एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक " The

Future of Indian Polities" में लिखा कि " मुसलमान, गैर-मुसलमानों से नफरत करते है' । इसके 2 वर्ष बाद ही गुरू रविन्द्र नाथ टैगोर ने " Times of India" को दिये साक्षात्कार में कहा कि " मुसलमान पहले मुसलमान है फिर उसके बाद कुछ।' वर्ष 1933 में रहमत अली ने देश के दो भागों का नाम पाकिस्तान व हिन्दूस्तान रख दिया। हिन्दू-मुस्लिम एकता के सारे प्रयास मुस्लिम मानसिकता के कारण विफल हो गये और वर्ष 1947 में देश आजाद तो हुआ किन्तु धर्म के आधार पर दो भागों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। आजादी के समय भारत के प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं ने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा कि सीमा रेखा खीचे जाने से हमारे दायित्व कम नही हो जाते। हम सदैव आपके साथ है। आप जब भी भारत आना चाहें हम आपका स्वागत करते है। आजादी के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से बड़ी संख्या में धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित शरणार्थियों का आगमन प्रारम्भ हो गया क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही गैर-मुस्लिम के प्रति घृणा व नफरत के आधार पर हुआ है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार-

1947 में विभाजन के समय , पाकिस्तान में लगभग 23% गैर-मुस्लिम नागरिक थे। आज गैर-मुसलमानों की आबादी लगभग 3% रह ग ई है। पाकिस्तान में हिन्दू आबादी घटकर लगभग 1.5% रह गई है। हिन्दू लडकियों का अपहरण , बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन, खास तौर पर सिंध प्रांत में पाकिस्तान के हिन्दुओं के लिए दैनिक जीवन की एक भयानक वास्तविकता है। एशियन ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार , सिंध में हर महीने हिन्दू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण की लगभग 20-25 घटनाऐं घटती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017 के दौरान पाकिस्तान में ईसाई, सिख, हिन्दू और अहमदियों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को कट्टरपंथी समूहों के हमलों और भेदभाव का निशाना बनाना जारी रहा है। 2017 के दौरान पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं मे कम से कम 231 लोग मारे गए थे, जबकि कम से कम 691 लोग घायल हुए थे। इस वर्ष की शुरूआत में, कम से कम 500 हिन्दुओं को, जिनमें अधिकांश महिलाऐं थी। कट्टरपंथियों द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने न केवल उन्हें हिन्दू से इस्लाम में शामिल होने के लिए मजबूर किया, बल्कि धर्म परिवर्तन का जश्न मनाने के लिए बड़े-बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

आंकड़ों पर गौर करें तो 1952 में पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी 22 प्रतिशत थी, जो 2019 में घटकर महज 7.8 प्रतिशत रह गई। इसी तरह बांग्लादेश में 1974 में हिन्दुओं की जनसंख्या 13.5 प्रतिशत थी, जो 2011 में घटकर 8.5 प्रतिशत रह गई। बांग्लादेश जातीय हिन्दू महाजोट की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2017 में बांग्लादेश में हिन्दू लोग लापता हो गए , यह संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में हिन्दू समुदाय के 782 लोगों को या तो देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया या देश छोड़ने की धमकी दी गई। 23 अन्य को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। कम से कम 25 हिन्दू महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार किया गया जबकि वर्ष 2017 के दौरान 235 मंदिरों और मूर्तियों के बर्बरता हुई। 2017 में हिन्दू समुदाय के साथ अत्याचार के कुल 6474 मामले दर्ज है।

संवैधानिक व विधिक प्रावधान-

भारतीय संविधान के भाग-2 में नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधान है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उल्लिखित है। आजादी के बाद भारतीय संसद में, पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख व उस पर चर्चा होंती रही, कुछ ने तो इस मुद्दे पर नेहरू मंत्रिमण्डल से इस्तीफा तक दे दिया। तत्कालीन भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ वर्ष 1950 में दिल्ली पैक्ट (नेहरू-लियाकत समझौता) किया। इस समझौता के तहत प्रावधान किया गया था कि दोनों देश अपने यहां के अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगें और साथ ही उनके हितों के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए अपने यहां अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन करेंगे। इसके साथ ही दोनों देश अपने यहां जबरन धर्मांतरण को ना ही सर्मथन ना ही मान्यता देंगे। कुछ समय पश्चात् भारतीय संसद ने नागरिकता से सम्बन्धित कानून पास किया जो दिनांक 30 दिसम्बर 1955 को लागू हुआ। भारत ने तो सदैव दिल्ली पैक्ट (नेहरू-लियाकत समझौता) समझौते का मान रखा किन्तु पाकिस्तान ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जिसके कारण पाकिस्तान के दोनों हिस्सों यथा पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान पाकिस्तान) से भारी संख्या में शरणार्थी भाग कर भारत आते रहें। भाग कर आयें इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने हेतु संसद में कई बार चर्चा हुई जिसमें उन्हें भारत की नागरिकता देने की भी मांग उठी जिससे नागरिकता देने के

प्रावधानों में समय -समय पर नागरिकता कानून में बदलाव भी किये गये। यह संशोधन नागरिकता कानून में क्रमशः वर्ष 1986, 1922, 2003, 2005 व 2019 में हुए।

वर्ष 2003 में संसद में डॉ0 मनमोहन सिंह ने भी तत्कालीन सरकार से पड़ोसी देशो से आये इन शरणर्थियों को नागरिकता देने की मांगी उठायी जिसे आधार बनाकर तत्कालीन समय में ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रकाश करात ने भी सरकार को पत्र लिखा। इसके पश्चात् वर्ष 2003 में हुए संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया कि जन्म आधारित नागरिकता में अभिभावक नागरिक हों या एक नागरिक तो हो किन्तु दूसरा अवैध शरणार्थी न हो। इसी के साथ ही राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को भी प्रावधानित किया गया इसके साथ ही नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र देने का भी प्रावधान किया गया। इसके पश्चात् वर्ष 2005 में नागरिक कानून में परिवर्तन करते हुए दोहरी नागरिकता का प्रावधान प्रस्तुत किया और इसके बाद वर्ष 2013 में तत्कालीन केन्द्र सरकार ने एक सर्कुलर द्वारा पाकिस्तान से आये हिन्दुओं को नागरिकता प्रदान की थी। इसके पश्चात् वर्ष 2019 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आये सभी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने हेतु प्रावधान किया गया है।

प्रभाव क्षेत्र-

यह नागरिक संशोधन कानून कुछ क्षेत्रों (पूर्वोत्तर के इनर लाईन परमिट) क्षेत्र व संविधान के 6वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) व 275(1) को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। संविधान 6वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) व 275(1) में असम , मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के प्रबंध के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं साथ ही यह स्वायत्त जिला परिषद को विशेष शक्तियां उपलब्ध कराता है। इन परिषदों को विभिन्न विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां भी दी गयी है, जिनका उद्देश्य आदिवासी इलाकों के विकास और आदिवासी समुदाय द्वारा स्वशासन को बढ़ावा देना है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की मुख्य बातें-

- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाग्लादेंश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आधे हिन्दू, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

- ऐसे शरणर्थियों को जिन्होनें 31 दिसम्बर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है वे भारतीय नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकेगें।
- अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए अधिनियम में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्संख्यक अगर पांच साल भी भारत में रहें तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है।
- यह भी व्यवस्था की गयी हैं कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कारवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेंगी।
- ओसीआई कार्डधारक यदि श र्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केन्द्र को है, पर उन्हें सुना भी जाएगा।

इनर लाईन परमिट (आई .एल .पी.)- यह एक आधिकारिक भ्रमण दस्तावेज है जो पूर्वोत्तर के सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को संरक्षित क्षेत्रों में निश्चित व सीमित समय के लिए जाने के लिए जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एन .आर .सी.)- राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का सबसे पहले गठन वर्ष 1951 में जनगणना के साथ ही किया गया था। आजादी के बाद से लगातार बांग्लादेश से आये शरणर्थियों से सर्वाधिक समस्या असम राज्य में प्रारम्भ हुई जिससे असम राज्य से आये शरणर्थियों व घुसपैठियों को लेकर आवाज बुलन्द होती रही। दिनांक 15 अगस्त 1985 को आन्दोलनकारियों की मांग मान ली जिसमें असम में बाहरी (घुसपैठियों या अवैध विदेशियों, शरणार्थियों) लोगों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। वर्तमान भारत सरकार ने अपने एक वक्तव्य में पूरे देश के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को वर्ष 2021 की जनगणना तक लागू करने का प्रस्ताव रखा है।

राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (एन .पी.आर .)- राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण एक तथ्य आधार है जिसमें देश में निवास करने वाले आमजन से संबंधित जानकारियां होती है जैसे- जन्मतिथि, जन्मस्थान, वैवाहिक स्थिति, व राष्ट्रीयता आदि। इसका संग्रहण वर्ष 2010 में 2011 की जनगणना के साथ किया गया था और सरकार ने जुलाई 2019 में इसके संग्रहण करने की अधिसूचना जारी की है।

अध्ययन उद्देश्य- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में सी.ए .ए . के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना है।

<u>**अध्ययन क्षेत्र**</u>**-** प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत का चयन किया गया। 14 अप्रैल 1996 को स्थापित कॉलेज की शुरूआत 6 विभागों- अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के साथ हुई, जिसमें केवल 36 छात्र और 2 शिक्षक थे, यह मल्ली हाट के छोटे से किराए के भवन में था। 05 सितम्बर 2001 को कॉलेज अपने स्वयं के परिसर में स्थानांतरित हो गया। बस स्टेशन से टनकपुर की ओर लगभग 4 किमी की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में कॉलेज में तीनों संकाय- कला, वाणिज्य और विज्ञान में कक्षाऐं सुचारू रूप से संचालित हो रही है।

प्रतिदर्श- प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से 60 छात्र-छात्राओं का चयन उद्देश्यपूर्वक प्रतिदर्श द्वारा किया गया। चयनित प्रतिदर्श में 20 लड़कियां तथा 40 लड़के सम्मिलित है जोकि हिन्दू धर्म से सम्बन्धित है तथा उनकी आयु 18 से 21 वर्ष के मध्य है।

प्राप्त आंकड़े-

तालिका संख्या - 1

क्या आप सी.ए .ए . से परिचित ?

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	56	93.33
नहीं	04	6.67
योग	60	100

तालिका संख्या 1 द्वारा स्पष्ट होता हैं कि 93.33 प्रतिशत छात्र-छात्रायें सी.ए .ए .से परिचित है तथा 6.67 प्रतिशत विद्यार्थी सी.ए .ए . से परिचित नहीं है।

तालिका संख्या - 2

क्या आप सी.ए .ए . के पक्ष में है?

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	48	80
नहीं	12	20
योग	60	100

तालिका संख्या 2 से ज्ञात होता है कि 80 प्रतिशत विद्यार्थी सी.ए .ए . के पक्ष में है तथा 20 प्रतिशत विद्यार्थी पक्ष में नहीं है।

तालिका संख्या - 3

आपके विचार से सी.ए .ए . क्यों आवश्यक है?

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु	35	58.33
अवैध घुसपैठ रोकने हेतु	20	33.33
अन्य	05	8.34
कोई लाभ नहीं	00	00
योग	60	100

तालिका संख्या 3 से पता चलता हंै कि 58.33 प्रतिशत विद्यार्थी अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु सी.ए .ए . को आवश्यक मानते हैं। 33.33 प्रतिशत विद्यार्थी अवैध घुसपैठ के लिए सी.ए .ए . के आवश्यक मानते है। 8.34 प्रतिशत विद्यार्थी अन्य कारणों को सी.ए .ए . के लिए आवश्यक मानते है। 00.00 प्रतिशत विद्यार्थी सी.ए .ए . को आवश्यक नहीं मानते है।

तालिका संख्या - 4

आपके विचार से सी.ए .ए . से किस धर्म के लोगों को प्रभावित कर सकता है?

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
हिन्दू	-	-
मुस्लिम	10	16.67
सिक्ख	-	-
ईसाई	-	-
अन्य धर्म	01	1.66
किसी धर्म को नहीं	49	81.67
योग	60	100

तालिका संख्या - 5

तालिका संख्या 4 से स्पष्ट होता हंै कि 16.67 विद्यार्थियों का मानना है कि सी.ए .ए . से मुस्लिम धर्म के लोग प्रभावित होगे। 1.66 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि सी.ए .ए . से अन्य धर्म के लोग प्रभावित होंगे, जबकि 81.67 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि सी.ए .ए . से कोई भी धर्म प्रभावित नहीं होगा।

क्या सी.ए .ए . वास्तव में एक विशेष समुदाय के साथ भेदभाव कर रहा है?

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	07	11.67
नहीं	53	88.33
योग	60	100

तालिका संख्या 5 से स्पष्ट होता है कि 11.67 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि सी.ए .ए . विशेष समुदाय के साथ भेदभाव करता है तथा 88.33 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि सी.ए .ए विशेष समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करता है।

तालिका संख्या - 6

सी.ए .ए . के कारण आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
गरीबी	02	3.33
बेरोजगारीं	03	5
अपराधों में वृद्धि	03	5
उपरोक्त सभी	31	51.67
कोई समस्या नहीं	21	35
योग	60	100

तालिका संख्या 6 से ज्ञात होता है कि 3.33 प्रतिशत छात्रों का मानना हंै कि सी.ए .ए . के कारण गरीबी जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। 5 प्रतिशत छात्रों का मानना है कि सी.ए .ए . के कारण बेरोजगारी व अपराधों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा जबकि 51.67 प्रतिशत छात्रों का मानना है कि सी.ए .ए . के कारण उपरोक्त सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 35 प्रतिशत छात्रों का मानना है कि सी.ए .ए . के कारण किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

निष्कर्ष:

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा स्पष्ट होता है कि चम्पावत महाविद्यालय के अधिकांश छात्र सी.ए .ए . से परिचित है तथा साथ ही वे इसे आवश्यक मानते है। उनका मानना हैं कि सी.ए .ए . अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं अवैध घुसपैठ को रोकने हेतु आवश्यक है। उनका मानना है कि सी.ए .ए . किसी धर्म के विरूद्ध नहीं है। यह केवल पीड़ित अल्पसंख्यकों

को संरक्षण देगा] ताकि वे सब अपना जीवन सुरक्षा के साथ यापन कर सके। कुछ छात्रों का मानना है कि सी.ए .ए . के द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के कारण देश में गरीबी, बेरोजगार जैसी समस्याऐं बढ़ेगी।

सी.ए .ए . करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है। इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में काफी कमी हुई है। वह लोग या तो मार दिए गए , उनका जबरन धर्मातंरण कराया गया या वे शरणर्थी बनकर भारत में आए। तीनों देशों से आए धर्म के आधार पर प्रतड़ित ऐसे लोगों को संरक्षित करना सी.ए .ए . का उद्देश्य है। भारत के अ ल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई अहित नहीं है। इस बिल का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है, जो दर्शकों से पीड़ित थे। यह उन निश्चित वर्गों के लिए है जिनके धर्म के अनुसरण के लिए इन तीन देशों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है।

संदर्भ ग्रन्थ-

1. *The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (PDF). The Gazette of India. 12 Dec. 2019.*
2. Mehra Aadhya (2020), 'Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA) : The Pernicious effects on the country', *International journal of creative research thoughts (Peer reviewed refereed journal)*, 11 (8), 2596-2605
3. Nirvaan S.L. & Goal Nikita (2019), 'Analysis of Nesus amognst CAA, NRC & NPR', *GIBS Law Journal,* 2(1), 1-7
4. Shithole, S. K. (2020). Citizenship Amendment Act, 2019: Legal Complexities and Way Forward. *Studies in Indian Place Names (UGC Care Journal), 40(22), 376–386.*
5. Verma, A.K. (2020), 'Nagrikta kanoon avm uska vikas', *nagrikta sanshodhan kanoon : etihasik kadam or nirmul shankaye (eds)* Shivanand Dwiedi, Shayamaprashad mukhariji research foundation, new delhi, 7-14
6. Yadav D. & Ahmad S. (2020), 'Sentiment Analysis on CAA & NRC using Machine learning', *Shodh Sarita (Peer reviewed journal)*, 27 I (7), 172-180